राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर

मुद्रणालय के कार्यो एवं प्रगति से सम्बन्धित संक्षिप्त नोट

संस्था का नाम	:	राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर राज्य स्तरीय एक शीर्ष सहकारी संस्था है।
उदेश्य	:	सदस्य व असदस्य सहकारी संस्थाओं एवं सरकारी विभागों में प्रयोगार्थ सामग्री का मुद्रण कार्य करना।
कार्यक्षेत्र	:	समस्त राजस्थान

• सहकारी मुद्रणालय के कारोबार की मुख्य गतिविधियां :–

इस मुद्रणालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई है। सहकारी मुद्रणालय द्वारा सहकारी संस्थाओं, राज्य सरकार के विभागों का मुद्रण कार्य राज्य सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखानियमों में स्वीकृत दरों पर किया जाता है। मुद्रणालय ने सहकारी संस्थाओं/सरकारी विभागों का गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुये उल्लेखनीय प्रगति की है।

राज्य सरकार ने मुद्रणालय के कार्य की विशिष्टताओं को देखते हुए इस मुद्रणालय से सभी विभागों को मुद्रण कार्य करवाने के लिये अधिकृत कर निविदाओं से मुक्त रखा है। मुद्रण दरें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 30 (वर्तमान आरटीपीपी नियम, 2013) के अन्तर्गत स्वीकृत हैं।

रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान ने राज्य की समस्त सहकारी संस्थाओं को इस मुद्रणालय से ही मुद्रण कार्य करवाने हेतु समय समय पर आदेश जारी कर निर्देशित किया है। सदस्य सहकारी संस्थाओं को मुद्रण कार्य पर 5 प्रतिशत की रिबेट का लाभ भी मुद्रणालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सहकारी संस्थाओं को इस मुद्रणालय से मुद्रण कार्य करवाने पर निम्नांकित लाभ है :–

1. मुद्रण सामग्री उचित मूल्य पर एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होती है ।
2. सदस्य संस्थाओं को 5 प्रतिशत रिबेट का लाभ मिलता है ।
3. सदस्य संस्थाओं को लाभांश प्राप्त होता है ।
4. पूर्व में मुद्रित किये गये कार्य का पुनः मुद्रण आदेश प्राप्त होने पर सामग्री की कम्पोजिगं व प्लानिंग का चार्ज नहीं करने से लागत में कमी आती है ।

• मुद्रण कार्य के संबंध में दर निर्धारण की प्रक्रिया

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय वर्ष 1960 से राज्य के सहकारिता क्षेत्र की मुद्रण हेतु स्थापित एक शीर्ष सहकारी संस्थान है। मुद्रणालय का प्रमुख कार्य राज्य की सहकारी संस्थाओं तथा राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों आदि को मुद्रण सामग्री/मुद्रित सामग्री की आपूर्ति करना है।

सहकारी मुद्रणालय की मुद्रण दरें राज्य सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग– II के नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के अंतर्गत सहकारी मुद्रणालय को मुद्रण हेतु अधिमान दिए जाने के प्रावधान हैं। मुद्रण कार्य में प्रयुक्त कागज एवं अन्य सामग्री का उपापन नियमानुसार रजिस्ट्रार/प्रशासक द्वारा गठित क्रय समिति जिसमें विभागीय लेखाधिकारी सदस्य हैं, के द्वारा लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कर किया जाता है। मुद्रण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य घटक कागज की क्रय दर पर नियमानुसार दस प्रतिशत ओवरहैड चार्ज जोड़कर विक्रय मूल्य निर्धारित कर ग्राहक संस्थान को आपूरित किया जाता है।

• मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता

वर्तमान में इस सहकारी मुद्रणालय में एच.एम.टी. लि0 से क्रय की गई की दो टू कलर ऑफसेट प्रिन्टिंग मशीन सहित कुल सात आफॅसेट प्रिन्टिंग मशीनें, आठ कम्प्यूटर सिस्टम, कैमरा, प्लेट मेकिंग इत्यादि आधुनिक उपकरण स्थापित है।

मुद्रणालय की आदर्श उत्पादन क्षमता लगभग पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। व्यवसाय वृद्धि व कार्य दबाव के दृष्टिगत मुद्रणालय नियत दरों पर बाह्य स्रोतों (आउटसोर्स) अर्थात् प्रिन्टर्स व बाईण्डर्स का एमपेनलमेन्ट कर कार्य निष्पादित करता है। चूंकि मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता व मानव संसाधन का आकार सीमित है। एतदर्थ आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि सुगम व लाभदायक है।

गत पॉच वर्षो के व्यवसाय की स्थिति

वर्ष	व्यवसाय	सकल लाभ	शुद्ध लाभ	संचित लाभ
2013–2014	**1190.43 लाख**	**140.44 लाख**	**34.70 लाख**	**6.07 करोड़**
2014–2015	**1302.75 लाख**	**133.25 लाख**	**25.55 लाख**	**6.33 करोड़**
2015–2016	**2130.88 लाख**	**195.86 लाख**	**77.72 लाख**	**7.10 करोड**
2016–2017	**2334.55 लाख**	**209.64 लाख**	**67.75 लाख**	**7.79 करोड**
2017–2018	**3852.75 लाख**	**442.57 लाख**	**173.45 लाख**	**9.53 करोड**

• हिस्सा राशि

सहकारी संस्थाओं द्वारा मुद्रणालय में विनियोंजित हिस्सा राशि 5.06 लाख रू. है। दिनांक 19.08.2011 को मुद्रणालय के संशोधित उपनियमानुसार मुद्रणालय के सदस्य संस्था द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवश्यक पात्रता अर्जित नहीं कर ली हो।

पात्रता में शामिल समझे जाने के लिये सदस्य संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुद्रणालय से करवाये जाने वाले मुद्रण कार्य की न्यूनतम सीमा के अनुसार निम्न राशि तक मुद्रण कार्य करवाना होगा।

1. शीर्ष सहकारी सोसायटी न्यूनतम – 15000/–
2. केन्द्रीय ʻʻ ʻʻ ʻʻ – 10000/–
3. प्राथमिक ʻʻ ʻʻ ʻʻ – 3000/–

- **लक्ष्यों की तुलना में दिनांक 31.03.18 तक मदवार वार्षिक उपलब्धि** :–

  मुद्रणालय ने वर्ष 2017–18 की अवधि में दिनांक 31.03.2018 तक कुल रू. 3852.75 लाख का रिकार्ड व्यवसाय कर 173.45 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया है जो कि वर्ष 2016–17 की तुलना में रू. 1518.20 लाख का व्यवसाय एवं लगभग रू. 105.70 लाख का लाभ अधिक है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 में मुद्रण दरों में लगभग 40 प्रतिशत कम करने के बावजूद मुद्रणालय द्वारा उपरोक्त अभूतपूर्व व्यवसाय किया गया है।

- **मुद्रणालय स्टॉफ स्ट्रेन्थ** :–

  वर्तमान में मुद्रणालय में कुल 24 कर्मचारी नियोजित है जिसमें मंत्रालयिक संभाग में 6 एवं तकनीकी संभाग में 18 एवं प्रबन्ध निदेशक सहित कुल 25 अधिकारी/कर्मचारी नियोजित हैं।

- **गैर सरकारी व्यवसाय वृद्धिकरण** :–

  मुद्रणालय को निम्न गैर सरकारी संस्थाओं से मुद्रण कार्य प्राप्त हो रहा है :–

1. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
2. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
3. जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
4. गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
5. आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
6. राजस्थान नॉलेज कॉरपोशन लि., जयपुर
7. ट्रक ऑफ0 हाईवे सोसायटी (टोहास)

- **व्यवसाय वृद्धि की आगामी पांच वर्ष की कार्ययोजना** :–

  मुद्रणालय की आगामी पंचवर्षीय कार्ययोजना निम्नानुसार है :–

1. मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु मुद्रणालय परिसर में निर्माण करवाया जाना है जिसमे मशीनरी व स्टोर को अधिक सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। मुद्रणालय के झालाना स्थित भूखण्ड में बंधन कार्य एवं कागज स्टोर हेतु निर्माण करवाया जाना है।

2. मुद्रण क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी परिवर्धन के अनुरूप नई प्रकार की मशीनरी व सहायक उपकरण स्थापित किया जाना है।
3. मुद्रणालय को आगामी पांच वर्षो में देश के प्रतिष्ठित मुद्रणालयों की कतार में शामिल करने के लिये मुद्रणालय परिसर को वातानुकूलित बनाया जाना है।
4. मुद्रणालय का समस्त कार्य पूर्ण रूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जाना है।
5. मुद्रणालय में नवीन तकनीकी युक्त मशीनों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार से 1.00 करोड़ रूपये की हिस्सा राशि विनियोजित करवाई जानी है।